

**न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0**

**दांडिक प्रकरण क.-556/2002
संस्थापित दिनांक- 17.12.2002**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. गोलू पुत्र मनसींगा आदिवासी, उम्र 49 वर्ष,
2. पीतम पुत्र दौला आदिवासी, उम्र 54 वर्ष,
समस्त निवासी सिंहपुर चाल्दा,
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 22.02.17 को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 429 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.11.2002 को लगभग शाम 04.00 बजे ग्राम सिंहपुर के जंगल में फरियादी लक्ष्मीनारायण बघेले की एक काली बकरी को मारकर उसे 50/- रुपये से अधिक की रिष्टि कारित की।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 16.11.2002 को शाम करीबन 04.00 फरियादी लक्ष्मीनारायण अपनी बकरिया सिंहपुरा जंगल खोगरा में चरा रहा था, उसकी एक बकरी करीब 4 साल की थी जो ज्ञावन होकर दो-चार दिन में बहाने वाली थी आगे निकल गई थी, तभी सिंहपुर चाल्दा के गोलू तथा पीतम आदिवादी ने उसकी बकरी को पकड़ लिया, बकरी चिल्लाई तो वह पास में बकरी चरा रहे, दशरथ बघेले दौड़कर पास पहुँचे तो पीतम एवं गोली आदिवासी ने बकरी की गर्दन मरोड़ दी, हम लोगों को देखकर दोनों अभियुक्त भाग गये एवं बकरी मौके पर मर गई, रात्रि होने के कारण वह उक्त दिनांक को रिपोर्ट करने नहीं आ सका, घटना के दूसरे दिन उसने रिपोर्ट करने गया।
- 03- फरियादी लक्ष्मीनारायण ने घटना के संबंध में पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा प्र0पी0 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, तथा आवेदन में नामगत आरोपीयों के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 393/02 अंतर्गत धारा 429 भा0दं0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना की गई, तथा बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ़ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.11.2002 को शाम करीबन 04.00 बजे ग्राम सिंहपुर के जंगल में फरियादी लक्ष्मीनारायण बघेले की एक काली बकरी को मारकर उसे 50/— रुपये से अधिक मूल्य की रिष्टि कारित की।
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— फरियादी लक्ष्मीनारायण (अ0सा0 3) का अपने न्यायालयनी कथनों में कहना है कि लगभग 10 साल पहले दिन के 03.00 बजे वह फेक्टरी के पास बकरी चरा रहा था तो अभियुक्तगण ने उसकी बकरी की गर्दन मरोड़ कर उसकी बकरी मार दी थी और वहां से भाग गये थे जिसके बाद उसने थाने पर मरी हुई बकरी को ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी लक्ष्मीनारायण (अ0सा0 3) का अपने प्रतिपरीक्षण में कहना है कि उससे साथ जसरथ (अ0सा0 1) भी बकरियां चरा रहा था। फरियादी के अनुसार बकरी की आवाज आने पर वह जंगल की तरफ गया तो उसने देखा की बकरी तड़प रही थी तथा उसने आरोपीगण को पीछे से भागते हुये देखा था क्योंकि वह आरोपीगण को पहचानता था इसलिये कपडे देखकर समझ गया था कि वह कौन थे।

07— फरियादी लक्ष्मीनारायण (अ0सा0 3) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी होती है हालांकि फरियादी ने घटना का समय शाम करीबन 04.00 बजे का बताया है जबकि न्यायालयीन कथनों में उसके द्वारा घटना 03.00 बजे की होना बताई गई है, परन्तु समय को लेकर इस साक्षी के कथनों में आया विरोधाभास तात्विक स्वरूप का नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति से, जोकि बकरियां चराता हो, से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घडी के हिसाब से निश्चित समय बता सके और निश्चित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस साक्षी के द्वारा घटना का समय अंदाजे के हिसाब से ही लेखबद्ध कराया गया होगा।

08— फरियादी लक्ष्मीनारायण (अ0सा0 3) की बकरी की गर्दन मरोड़ कर अभियुक्तगण द्वारा मृत्यु कारित की गई, इस संबंध में फरियादी लक्ष्मीनारायण (अ0सा0 3) के द्वारा दिये गये न्यायालयीन कथन उसके सम्पूर्ण परीक्षण में अखण्डित रहे हैं तथा इस साक्षी के कथनों में बचाव पक्ष ऐसा कोई भी महात्वपूर्ण विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ है, जिससे इस साक्षी के द्वारा दिये गये न्यायालयीन कथनों पर अविश्वास करने का कोई आधार उत्पन्न होता है। घटना के अन्य साक्षी जसरथ (अ0सा0 1) व स्वयं फरियादी के पिता उमराव (अ0सा0

2) ने हालांकि अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा घटना की जानकारी होने से ही इंकार किया है, परन्तु विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि पक्षविरोधी साक्षियों की भी उतनी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है, जितनी की घटना का समर्थन करती हो। उमराव (अ0सा0 2) ने भले ही अपने न्यायालयीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इंकार किया हो परन्तु इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी एक बकरी मर गई थी तथा उसका आरोपी से राजीनामा भी हो गया है।

- 09— अतः उमराव (अ0सा0 2) के उपरोक्त कथन से फरियादी लक्ष्मीनारायण (अ0सा0 3) के कथन की पुष्टि होती है कि लक्ष्मीनारायण (अ0सा0 3) की बकरी मरी थी जिसकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी और उमराव (अ0सा0 2) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन न देने का एक कारण उसका अभियुक्त से राजीनामा हो जाना हो सकता है। विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि किसी भी तथ्य को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों की संख्या की अपेक्षा साक्ष्य की गुणवत्ता देखी जानी है और इसके लिये एकल साक्षी की ही साक्ष्य यदि पूरी तरह से विश्वसनीय है, उक्त साक्ष्य के आधार पर ही तथ्य को प्रमाणित माना जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में लक्ष्मीनारायण (अ0सा0 3) की साक्ष्य की उसकी बकरी की अभियुक्तगण ने गर्दन मोड़ कर हत्या कर दी थी तथा उसने अभियुक्तगण को मौके से भागते हुये देख कर पहचान लिया था, पूरी तरह से विश्वसनीय प्रकृत होती है।
- 10— फरियादी लक्ष्मीनारायण (अ0सा0 3) के द्वारा घटना स्थल फेक्टरी के पास का होना अपने न्यायालयीन कथनों में स्पष्ट किया है कि नक्शा मौका पुलिस ने मौका देखकर बनाया था। सहायक उपनिरीक्षण आर0एस0 रघुवंशी (अ0सा0 6) ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि उसने फरियादी के निशानदेही पर नक्शा मौका प्र0पी0 5 बनाया था तथा घटना स्थल सिंहपुरा चाल्दा मार्ग का होना कथित किया है। नक्शा मौका प्र0पी0 5 जो कि सहायक उपनिरीक्षक आर0एस0 रघुवंशी (अ0सा0 6) के द्वारा फरियादी के निशानदेही पर बनाया गया है, से भी फरियादी के द्वारा घटना स्थल के संबंध में दिये गये कथन की पुष्टि होती है। नक्शा मौका प्र0पी0 5 में 3 नंबर से चिह्नित स्थान मेकजीन का गॉडाउन दर्शाया गया है तथा उसी स्थान से लगा हुआ 1 नंबर से घटना स्थल को चिह्नित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि फरियादी घटना स्थल के पास जिस फेक्टरी के उल्लेख अपने न्यायालयीन कथनों में कर रहा है वह नक्शा मौका प्र0पी0 5 में 3 नंबर से चिह्नित किया गया है, अतः फरियादी के द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में घटना के स्थान के संबंध में दिये गये कथन को पुष्टि भी नक्शा मौका प्र0पी0 5 के साथ-साथ सहायक उपनिरीक्षण आर0एस0 रघुवंशी (अ0सा0 6) के न्यायालयीन कथनों से होती है।
- 11— फरियादी लक्ष्मीनारायण (अ0सा0 3) की बकरी की मृत्यु प्रकृतिक न होकर उसकी मृत्यु गर्दन मरोड़ने के कारण हुई थी इस बात की पुष्टि पशु चिकित्सक डॉ0 एस0सी0 गुप्ता (अ0सा0 5) ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में की है। इस साक्षी के द्वारा मृत बकरी का शव परीक्षण किया गया है। डॉ0 एस0सी0 गुप्ता (अ0सा0 5) ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा दिनांक 17.11.2002 को काले रंग की बकरी का शव परीक्षण किया गया था तथा आंतरिक परीक्षण में बकरी के फेफड़े फटे हुये और उनमें खून जमा हुआ पाया गया था। इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि बकरी के गले में स्थित टेकिया ईसोफोगस एवं 1 से 4 क्रमांक गले की हड्डियां डिस लॉकेटिट थी तथा गले की मॉस पेशियों और त्वचा के नीचे अनियमित रूप से रक्त जमा था।

- 12— डॉ० एस०सी० गुप्ता (अ०सा० 5) के द्वारा बकरी के शव परीक्षण में बकरी की मृत्यु का जो उपरोक्त कारण दर्शाया गया है उससे ही यह स्पष्ट होता है कि बकरी की मृत्यु प्राकृतिक न होकर उसे सआशय गर्दन मरोड़ कर मारा गया है। डॉ० एस०सी० गुप्ता (अ०सा० 5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव पर ऐसी किसी भी संभावना से इंकार किया है कि बकरी की गर्दन पेड़ की दो लकड़ियों में फसने से बकरी की मृत्यु हुई होगी। डॉ० एस०सी० गुप्ता (अ०सा० 5) के द्वारा शव परीक्षण के दौरान प्र०पी० 6 का प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं तथा इस बात की पुष्टि की है कि बकरी की मृत्यु लगभग 26 घण्टे के पूर्व हुई होगी।
- 13— डॉ० एस०सी० गुप्ता (अ०सा० 5) के द्वारा बकरी की मृत्यु के कारण अपने न्यायालयीन कथनों की पुष्टि उनके द्वारा बकरी के शव परीक्षण के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट प्र०पी० 6 से भी होती है तथा डॉ० एस०सी० गुप्ता (अ०सा० 5) के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि जिस बकरी का शव परीक्षण घटना के दूसरे दिन डॉ० एस०सी० गुप्ता (अ०सा० 5) के द्वारा किया गया था उस बकरी की मृत्यु प्राकृतिक न होकर उसे सआशय गर्दन मरोड़ कर मारा गया था।
- 14— परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त **गोलू पुत्र मनसींगा आदिवासी, पीतम पुत्र दौला आदिवासी** भा०दं०वि० की धारा 429 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
15. अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

16. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण ने बरबर्ता पूर्ण तरीके से बकरी को गर्दन मरोड़ कर मारा है तथा उस बकरी के साथ उसके गर्भ में दो मृत बच्चे भी, पशु चिकित्सक डॉ० सुरेशचन्द्र (अ०सा० 5) ने शव परीक्षण के दौरान पाये हैं। बिना किसी कारण के अभियुक्तगण द्वारा उक्त कृत्य किया गया है जिसके लिये उनके साथ सहानुभूति की अपेक्षा उन्हें एक शिक्षाप्रद दण्ड दिये जाने से आवश्यक है। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के उपरान्त एवं प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त **गोलू पुत्र मनसींगा आदिवासी, पीतम पुत्र दौला आदिवासी** को

भा0दं0वि0 की धारा 429 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500—500 /— रुपये (पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 7 दिवस (सात दिवस) का पृथक से सश्रम कारावास भुगताया जावे।

17. उपरोक्त सजाये अभियुक्तगण को एक साथ भुगताई जावे। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)